<u>न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट– द्वितीय, सहानरपुर</u>

प्रकीर्ण वाद सं0– 70/2026

पारस कांबोज बनाम अक्षय कुमार।

धारा– 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0

थाना– चिलकाना, जिला सहारनपुर।

<u>26.05.2026</u>

1. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

2. प्रार्थी/आवेदक की ओर से विपक्षी के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी०एन०एस०एस० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी मैसर्स दिशा इण्डिया माईको क्रेडिट का अधिकृत प्रतिनिधि है। प्रार्थी की पंजीकृत संस्था का पंजीकृत कार्यालय सुलतानपुर चिलकाना सहारनपुर में है। उपरोक्त कम्पनी में विपक्षी बतौर फील्ड आफिसर के पद पर मंगल नगर सहारनपुर मे कार्यरत थे। विपक्षी की तरफ कम्पनी के 2,95,293/–रूपये बकाया थे, जो कम्पनी के द्वारा बार–बार जमा करने के बावजूद भी विपक्षी ने कम्पनी का उक्त रूपया जमा नही दिया था। विपक्षी ने अपने लिखित लैटर द्वारा यह स्वीकार किया कि उसने 11 नवम्बर सन 2025 को 20,000/– रूपये व 13 दिसम्बर सन 2025 को 12000/– रूपये कम्पनी को लौटाये। इस तरह विपक्षी की तरफ कम्पनी 2,63,293/–रूपये बकाया चले आ रहे हैं। जबकि कम्पनी ने विपक्षी को दिनाँक 31.10.2025 को कम्पनी से रिलीव कर दिया था, इसके बावजूद भी विपक्षी कम्पनी के बार–बार तकाजा करने पर भी कम्पनी का रूपया अदा नही कर रहा है। प्रार्थी की कम्पनी के डायरेक्टर केशवानन्द तिवारी द्वारा भी इस सम्बन्ध मे विपक्षी को नोटिस दिया गया था, लेकिन विपक्षी ने कोई जवाब आज तक नही दिया और न ही कम्पनी की रकम लोटायी। इस कारण मजबूर होकर प्रार्थी ने वाकात का प्रार्थना पत्र टाईप कराकर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के यहां दिनांक 06.04.2026 को बजरिये स्पीड पोस्ट प्रेषित किया, लेकिन आज तक भी प्रार्थी की रिपोर्ट थाना हाजा पर दर्ज नही हुई और न ही विपक्षी के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर को दिये गये प्रार्थना पत्र की छाया प्रति व रसीद स्पीड पोस्ट, डायरेक्टर का लैटर, लिस्ट कम्पनी, एडमीशन का लैटर एंव विपक्षी का स्वीकार किया गया लैटर दिनांकी 31.10.2025 एवं कम्पनी का एथोरिटी लैटर एंव अन्य समस्त कागजात हमरिस्ता प्रार्थना पत्र है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जाँच कराये जाने की याचना की गयी।

3. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वंय का शपथपत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थनापत्र की प्रति, रजिस्ट्री रसीद, विपक्षी को प्रेषित नोटिस की प्रति, ऑथराईजेशन लेटर की प्रति बैंकिंग लेनदेन की प्रतिया तथा स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

4. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त घटना के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. थाने से तलब विस्तृत आख्या भी पत्रावली पर संलग्न है।

6. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मुख्यतः कथन किया गया है कि विपक्षीगण ने प्रार्थी की कंपनी में फील्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहते हुए कंपनी के रुपये 2,63,293/–रूपये अपने पास रखे, जो प्रार्थी द्वारा मांगने के बावजूद विपक्षी द्वारा अदा नहीं किया जा रहा है और बार–बार मांगने पर विपक्षीगण ने प्रार्थी के साथ घटना कारित की। प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वह सभी तथ्यों का स्वयं जानकार है तथा साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने केस को साबित कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ के निर्णय **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (59) ए 0 सी0 सी0 739** में माननीय न्यायालय

द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट धारा– 156(3) दं0 प्र 0 संहिता {173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता} में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत किये जाने तथा विवेचना कराये जाने हेतु आदेश पारित करने को बाध्य नहीं है, भले ही प्रार्थना पत्र के तथ्यों से संज्ञेय अपराध होना पाया जाता हो।

8. अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **फादर थॉमस बनाम स्टेट ऑफ यू0 पी0 2002 (1) जे0 आई 0 सी0 415 (इलाहबाद)** व **रामबाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2001 (43) ए 0 सी0 सी0 50 (इलाहाबाद पूर्ण पीठ)** के निर्णय में दिये गये विधि सिद्धान्तों के आलोक में प्रार्थी उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी पारस कांबोज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 परिवाद में परिवर्तित किया जाता है।

प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाये। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा– 223 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 दिनांक 25.06.2026 को पेश हो।

(अभिषेक चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट– द्वितीय,
सहारनपुर।
JO Code– UP3465